

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2167 / 2010 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड-प्रथम, वृत्त द्वितीय, राजस्थान, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आकड एजेन्सीज,
1409, सांघो का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक.

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक.

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01 / 11 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 144 / अपील्स-IV / 09-10 / एफ में पारित आदेश दिनांक 02.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड-प्रथम, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2003 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत कर राशि रुपये 1,05,406 / - + 95,571 / -, ब्याज राशि रुपये 28,845 / - + 26,139 / - एवं शास्ति राशि रुपये 2,10,812 / - में से कर राशि रुपये 1,05,406 / -, ब्याज राशि रुपये 28,845 / - एवं शास्ति राशि रुपये 2,10,812 / - को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 17.09.2002 को किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 'स्टील बाल' की बिक्री की है जो 'आईरन एण्ड स्टील' की श्रेणी में आता है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार अधिनियम की धारा 14(iv) में 'स्टील बाल' को 'आईरन एण्ड स्टील' की श्रेणी में नहीं माना है। कर निर्धारण आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कुल राशि रुपये 26,35,150 / - की कर योग्य अन्तर्राज्यीय बिक्री को एस.टी पेड स्थानीय विक्रय दर्शाकर करापवंचन किया है। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने कर राशि रुपये 1,05,406 / - + 95,571 / -, ब्याज राशि रुपये 28,845 / - + 26,139 / - एवं शास्ति राशि रुपये 2,10,812 / - कुल राशि रुपये 4,66,773 / - आरोपित करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.03.2003 पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निरन्तर.....2

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल मांग राशि में से कर राशि रूपये 1,05,406/-, ब्याज राशि रूपये 28,845/- एवं शास्ति राशि रूपये 2,10,812/- को अपास्त कर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर रूपये 95,571/- व ब्याज रूपये 26,139/- को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से अधोषित रूप से बिक्री की गई, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक रूप से कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि कर निर्धारण अधिकारी ने माल का गमन संविदा के आधार पर (Movement of goods in pursuance of a contract) किया गया प्रमाणित किये बिना रूपये 26,35,150/- के विक्रय पर जो अन्तर्राज्यीय विक्रय कर रूपये 1,05,406/-, ब्याज रूपये 28,845/- व शास्ति रूपये 2,10,812/- आरोपित किये हैं वह अविधिक, अनुचित तथा बिना किसी आधार के हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने समस्त विक्रय लेखा पुस्तकों व विवरण पत्रों में नियमानुसार एसटीपी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर चुका माल खरीद कर राज्य में ही बिक्री करके राज्य में ही डिलीवरी दी गई है इस कारण राज्य की ही बिक्री है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने स्तर पर माल का परिगमन (Movement) नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने स्थानीय बिक्री को अन्तर्राज्यीय बिक्री मान कर करारोपण किया है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं किया है कि माल राज्य के बाहर गया है या अनुबन्ध की पालना में बाहर भेजा गया है। इसके लिए सर्वप्रथम सीएसटी एक्ट की धारा 3 का अवलोकन किया जाना आवश्यक होगा, जो कि निम्नानुसार है-


3. When is a sale or purchase of goods said to take place in the course of inter-State trade or commerce. A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of inter-State trade or commerce if the sale or purchase— (a) occasions the movement of goods from one State to another; or (b) is effected by a transfer of documents of title to the goods during their movement from one State to another.

7. अतः सीएसटी एक्ट की धारा 3 के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक माल का Movement एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रमाणित नहीं होता है। तब तक इसे अन्तर्राज्यीय

विक्रय नहीं माना जा सकता है। अपीलीय अधिकारी का अपीलीय आदेश विस्तृत एवं स्पष्ट है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत अपील में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य